

प्रेषक,

उपायुक्त, गुरुग्राम।

सेवा में

M/s HCBS Promoters & Developers Private Limited.,
Plot No. 137, Sector 27, Gurugram,
Haryana-122002

क्रमांक 145 / एम0बी0

दिनांक 19/11/2024

विषय:-

Request for grant of NOC for Aravali Clearance, for construction of Residential Group Housing Colony, measuring 5.2902 Acres (License No. 223 of 2023 dated 31.10.2023 - HCBS Promoters & Developers Pvt. Ltd., Care Realtech Pvt. Ltd. C/o M/s HCBS Promoters & Developers Pvt. Ltd. in the revenue estate of Village Dhankot, Tehsil Kadipur, Sector-102, Distt. Gurugram, Haryana.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार, कादीपुर व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:-

नायब तहसीलदार, कादीपुर ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 918/रीडर दिनांक 04.11.2024 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है, जिसमें लिखा है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का से ली गई। रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार मौजा धनकोट उपतहसील कादीपुर जिला गुरुग्राम में मलकियत से सम्बंधित मांगी गई रिपोर्ट बिन्दुवार निम्न प्रकार है:-

1. प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नं0 दिनांक 07.05.1992 के अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं है।
2. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात मिसल हकीयत/चकबन्दी तक कभी भी अराजी जरई की किस्म गैर मुमकिन पहाड़, गैर मुमकिन राड़ा, गैर मुमकिन बीहड़, बंजड़ बीहड़ व रुद्र नहीं रही है।
3. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व पश्चात अराजी जरई किस्म चाही है।
4. वर्णित प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई अराजी मिसल हकीयत/चकबन्दी ता हाल कभी भी शामलात देह/ नगर पालिका/नगर निगम की मलकियत नहीं रही है।
5. राजस्व रिकार्ड मुताबिक उपरोक्त अराजी भूमि बारे किसी माननीय न्यायालय में केस/मुकदमा का इन्द्राज में दर्ज नहीं है।
6. राजस्व रिकार्ड अनुसार उपरोक्त अराजी भूमि NCZ (National Conservation Zone), SEZ (Special Economical Zone) में नहीं आती है।
7. प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान पर धारा 4-6 व अवार्ड आदि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड के खाना कैफियत में दर्ज नहीं है।
8. राजस्व रिकार्ड अनुसार आरजी भूमि खेवट नं0 556 मु0/किला नं0 55//16(8-0)-17/1(4-16)- 24/2(5-0)-25/1(2-9) पर बरूवे इन्तकाल नं0 6825-6826-6831-6832 से मैसर्ज HCBS प्रमोटर्स एण्ड डवलपर्स प्रा0लि0 की मलकीयत व खेवट नं0 660 मु0/किला नं0 55//6(7-16)- 15(8-0), 56//11/1(8-5) किता 3 रकबा 24 कनाल 1 मरला बरूवे दबर नं0 24 जमाबंदी साल 2020-21 से एच.सी.बी.एस. प्रमोटर्स एण्ड डवलपर्स प्रा0लि0 1/2 भाग की मलकियत है। व खेवट नं0 921 मु0/किला नं0 55//23/3(2-18) -24/1/3(1-1) किता 2 रकबा 3 कनाल 19 मरला पर बरूवे इन्तकाल नं0 6881 बैय 6963 तकसीम से मै0 HCBS प्रमोटर्स एण्ड डवलपर्स प्रा0लि0 की मलकीयत है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 1109-C दिनांक 26.09.2024 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके कार्यालय द्वारा दिनांक 27.10.2023 (M/s HCBS Promoters & Developers Private Limited) को गांव धनकोट, जिला गुरुग्राम के 5.2902 एकड़ क्षेत्र की फॉरेस्ट क्लेरिफिकेशन ऑनलाईन जारी की जा चुकी है। जिसकी छाया प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की है। जिसमें लिखा है कि Applicant Parveen, M/s HCBS Promoters & Developers Private Limited., having Rectangle No. 55//16(8-0-0), 17/1(4-10-6), 24/2(3-0-1), 25/1(2-9-0), 23/3 Min (2-13-2), 24/1/3(1-1-0), 55/6 Min (5-10-6), 15 Min (6-16-7), 56//11/1 (8-5-0) Land Location Village Dhankot, Sub Tehsil Kadipur, District Gurugram made a proposal to use this land for Setting up of Township. It is made clear that:-

- a) As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- b) It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurugram is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, Gurugram.
- c) If approach is required from Protected Forest by the user agency, the clearance/regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. **M/s HCBS Promoters & Developers Private Limited.** whose land is located at **Village Dhankot, Sub Tehsil Kadipur, District Gurugram** must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.
- d) As per the records available with the Forest Department Gurugram the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- e) All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- f) The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- g) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- h) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- i) This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification Is Hereby Issued Subject To Above Mentioned Conditions And Distance Of The Proposal Is Less 5 Km. From Boundry of Delhi. Hence, Permission Must Be Obtained From Competent Authority.

अतः नायब तहसीलदार, कादीपुर व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट अनुसार आपको Village Dhankot, Sub Tehsil Kadipur, District Gurugram की उक्त भूमि की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट इस शर्त पर जारी की जाती है कि प्रार्थी/कम्पनी को दी गई एन0ओ0सी में यदि किसी नम्बरों पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बन्धित नम्बरों की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी जिसके लिए प्रार्थी/कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी। इसके अतिरिक्त प्रार्थी वर्णित भूमि पर कोई भी परियोजना शुरू करने से पूर्व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट में दर्शाई गई शर्त अनुसार Competent Authority से अनुमति लेकर इस कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करे क्योंकि Distance Of The Proposed Site Is Less Than 5 Km. From Delhi Boundary. Hence Permission Must Be Obtained अन्यथा सम्बन्धित किला नम्बरान की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी।



कृतः उपायुक्त, गुरुग्राम।